भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 863

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर

863. **श्री वरुण चौधरीः**
श्री बैन्नी बेहननः
श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए संचालित वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) का ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने केन्द्र किराए के भवन में कार्य कर रहे हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इन केन्द्रों द्वारा कितनी शिकायतें रिपोर्ट की गई हैं/कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया है;

(ख) प्रति ओएससी कितने सुरक्षा कर्मियों और अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया है और मौजूदा रिक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएससी में स्थान और अन्य सुविधाओं की कमी के संबंध में राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान ओएससी द्वारा संस्वीकृत निधि और उपयोग किए गए प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने ओएससी स्थापित किए जाने हैं;

(ङ) क्या प्रत्येक ओएससी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप महिलाओं द्वारा प्रशासित किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में ओएससी सेवा के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों में पेशेवरों के लिए यदि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता हैं तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): योजना की शुरूआत से दिनांक 31.10.2024 तक किराये के भवनों में संचालित ओएससी सहित कार्यशील वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): मिशन शक्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार 3 सुरक्षा गार्डों सहित 13 जनशक्ति संसाधनों की नियुक्ति/तैनाती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओएससी योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधीन है। वे संबंधित राज्य पुलिस/अस्पताल के अधिकारियों की मदद से ऐसी सेवाओं का प्रबंधन करने में सक्षम हैं।

(ग): ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएससी द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई निधि के प्रतिशत का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। चूंकि यह योजना मांग आधारित है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ओएससी स्थापित करने और उन जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां महिलाओं के विरूद्ध अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और जो आकांक्षी जिले हैं।

(ड़): जी हां।

(च): इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार हैं। वे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर जन-जागरूकता गतिविधियाँ करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण हेतु कार्रवाई की है। इसमें मनो-सामाजिक परामर्श, लिंग आधारित हिंसा के मामले को निपटाना, लिंग संवेदीकरण और डैशबोर्ड संचालन पर तकनीकी सत्रों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को शामिल करना शामिल है। इसमें जनवरी 2024 से जुलाई 2024 के बीच गुवाहाटी, इंदौर और बैंगलोर में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और नई दिल्ली में दो राष्ट्रीय कार्यशालाएँ शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर' के संबंध में श्री वरुण चौधरी, श्री बैन्नी बेहनन और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 29.11.2024 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

योजना की शुरूआत से लेकर दिनांक 31.10.2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यशील ओएससी और सहायता प्राप्त महिलाओं का विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संचालित ओएससी की संख्या**	**किराये के भवनों में संचालित ओएससी की संख्या**	**सहायता प्राप्त महिलाएं (आरंभ से दिनांक 31.10.2024 तक)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	0	2,006
2	आंध्र प्रदेश	26	5	42,437
3	अरुणाचल प्रदेश	25	0	2,295
4	असम	36	11	23,917
5	बिहार	39	0	40,469
6	चंडीगढ़	1	0	1,682
7	छत्तीसगढ	27	10	45,965
8	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	3	0	1,235
9	दिल्ली	11	0	21,120
10	गोवा	2	0	7,051
11	गुजरात	35	0	38,468
12	हरियाणा	22	5	44,478
13	हिमाचल प्रदेश	12	1	3,376
14	जम्मू और कश्मीर	20	5	12,581
15	झारखंड	24	0	5,115
16	कर्नाटक	39	0	28,073
17	केरल	14	0	20,620
18	लद्दाख	2	0	79
19	लक्षद्वीप*	1	0	-
20	मध्य प्रदेश	57	8	1,04,072
21	महाराष्ट्र	45	0	33,698
22	मणिपुर	16	0	1,746
23	मेघालय	12	0	4,004
24	मिजोरम	11	3	1,872
25	नागालैंड	11	0	1,394

26	ओडिशा	30	0	21,891
27	पुदुचेरी	4	0	465
28	पंजाब	23	1	19,566
29	राजस्थान	37	1	47,837
30	सिक्किम	6	2	1,637
३१	तमिलनाडु	48	3	96,173
32	तेलंगाना	36	9	68,310
33	त्रिपुरा	8	0	828
34	उत्तर प्रदेश	79	0	2,54,873
35	उत्तराखंड	14	0	8,485
36	पश्चिम बंगाल	23	0	4,541
	कुल	**802**	**64**	**10,12,359**

* लक्षद्वीप ने डेटा नहीं भेजा है।

अनुलग्नक- II

श्री वरुण चौधरी, श्री बैन्नी बेहनन और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 29.11.2024 के लिए पूछे गए 'महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत निधि का ब्यौरा तथा उपयोग की गई निधि का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	41.6	71%	38.59	94%	58.22	44%	15.2	29%	135.99	0%
2	आंध्र प्रदेश	260.99	85%	205.05	73%	249.57	79%	72.96	45%	605.58	69%
3	अरुणाचल प्रदेश	134.18	4%	514.14	6%	369.45	5%	40.39	0%	847.7	54%
4	असम	804.09	49%	642.14	73%	650.63	183%	129.61	396%	1755.48	73%
5	बिहार	1046.09	1%	709.66	0%	555.17	0%	0	0%	0	0%
6	चंडीगढ़	15	151%	33.84	90%	15	200%	49.22	0%	16.8	0%
7	छत्तीसगढ़	677.38	74%	353.21	139%	526.86	90%	304.63	25%	882.44	61%
8	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50.39	0%
9	दिल्ली	390.97	28%	189.05	95%	184.69	121%	138.56	0%	184.78	120%
10	गोवा	15	0%	30.01	0%	30.01	0%	0	0%	0	0%
11	गुजरात	679.52	91%	875.17	86%	997.46	64%	386.76	127%	1166.26	66%
12	हरियाणा	401.92	64%	398.44	86%	385.35	96%	186.75	35%	594.68	78%
१३	हिमाचल प्रदेश	317.3	14%	204.05	7%	180.05	83%	18.9	1338%	403.15	97%

14	जम्मू और कश्मीर	96.39	39%	218.84	0%	323.09	0%	0	0%	335.96	106%
15	झारखंड	408.53	0%	697.25	7%	506.78	0%	0	0%	0	0%
16	कर्नाटक	582.04	61%	729.09	94%	513.88	148%	130.88	467%	1054.13	23%
17	केरल	140.9	95%	243.06	68%	234.41	94%	139.28	82%	0	0%
18	लद्दाख-यूटी	0	0%	65.45	33%	30.01	41%	0	0%	33.6	0%
19	लक्षद्वीप	20.91	0%	7.5	0%	15	0%	0	0%	16.8	0%
20	मध्य प्रदेश	1670.92	20%	1057.05	42%	921.41	55%	261.55	126%	820.48	137%
21	महाराष्ट्र	669.99	7%	646.2	1%	561.35	0%	69.37	470%	1539.69	80%
22	मणिपुर	248.84	97%	501.94	98%	396.59	191%	543.29	0%	268.77	88%
23	मेघालय	374.3	42%	211.62	85%	276.22	97%	232.77	4%	321.56	95%
24	मिजोरम	218.71	101%	172.64	144%	280.33	85%	178.05	0%	283.45	104%
25	नागालैंड	191.73	166%	329.91	92%	528.92	101%	197.41	0%	545.83	63%
26	ओडिशा	209.35	282%	931.55	90%	739.31	115%	614.67	39%	1084.95	71%
27	पुदुचेरी	43.76	0%	72.02	0%	67.24	0%	18.25	7%	0	0%
28	पंजाब	351.84	20%	490.61	15%	385.31	0%	0	0%	389.01	131%
29	राजस्थान	677.12	37%	566.87	58%	941.85	33%	129.59	51%	883.59	101%
30	सिक्किम	68.1	98%	66.02	100%	80.8	72%	77.48	0%	126.09	61%
३१	तमिलनाडु	713.6	75%	1066.6	105%	520.38	135%	697.43	48%	1158.88	85%
32	तेलंगाना	624.47	112%	793.39	109%	945.98	102%	1392.65	0%	1217.41	81%
33	त्रिपुरा	60.02	0%	162.04	7%	135.75	0%	18.21	0%	0	0%
34	उत्तर प्रदेश	1231.94	15%	2288.33	1%	1396.79	0%	347	210%	1812.71	113%
35	उत्तराखंड	229.07	43%	273.09	0%	263.17	0%	153.33	9%	436.75	49%
36	पश्चिम बंगाल	95.46	0%	198.9	0%	227.32	0%	28.41	0%	0	0%
	कुल	**13712.04**		**15983.31**		**14494.34**		**6572.61**		**18972.9**	

*****